गृह मंत्रालय

मांग संख्या 53

गृह मंत्रालय

क. वसूलियाँ को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

| | | ı | | | | | | | | (करोड़ रुपए) | | | | | | | |
|----|--------------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------|------------------------|--------------|---------|-------------------|--------------|---------|---------------|--------------|---------|--|--|--|
| | | | वास्तविक 2012-2013 | | | <u> ब</u> जट 2013-2014 | | | संशोधित 2013-2014 | | | बजट 2014-2015 | | | | | |
| | | मुख्य शीर्ष | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | | | |
| | | राजस्व | 864.49 | 712.41 | 1576.90 | 1358.31 | 750.20 | 2108.51 | 624.50 | 698.39 | 1322.89 | 742.64 | 791.80 | 1534.44 | | | |
| | | पूंजी | 6.49 | 38.89 | <i>4</i> 5.38 | 2.67 | 62.68 | 65.35 | 2.50 | 26.61 | 29.11 | 51.36 | 58.87 | 110.23 | | | |
| | | जोड़ | 870.98 | 751.30 | 1622.28 | 1360.98 | 812.88 | 2173.86 | 627.00 | 725.00 | 1352.00 | 794.00 | 850.67 | 1644.67 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | सचिवालय- सामान्य सेवाएं | 2052 | | 191.44 | 191.44 | | 234.10 | 234.10 | | 247.84 | 247.84 | | 271.02 | 271.02 | | | |
| | | 4059 | 6.25 | | 6.25 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | 0.71 | ••• | 0.71 | | | |
| | | 4070 | | 1.06 | 1.06 | | 1.50 | 1.50 | | 0.72 | 0.72 | | 1.50 | 1.50 | | | |
| | 7 2 00 | जो,ङ | 6.25 | 192.50 | 198.75 | 0.50 | 235.60 | 236.10 | 0.50 | 248.56 | 249.06 | 0.71 | 272.52 | 273.23 | | | |
| | । सर्वेक्षण और सांख्यिकी | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | जनगणना | 3454 | 797.61 | 253.18 | 1050.79 | 1119.99 | 279.07 | 1399.06 | 554.15 | 233.70 | 787.85 | 659.32 | 265.59 | 924.91 | | | |
| | | 4070 | 0.24 | | 0.24 | 2.17 | ••• | 2.17 | 2.00 | | 2.00 | 0.65 | | 0.65 | | | |
| | 0) . | जो,ङ | 797.85 | <i>253.18</i> | 1051.03 | 1122.16 | 279.07 | 1401.23 | <i>556.15</i> | 233.70 | 789.85 | 659.97 | 265.59 | 925.56 | | | |
| | ासनिक सेवाएं | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. | राजभाषा | 2070 | 4.14 | 33.66 | 37.80 | 8.31 | 38.67 | 46.98 | 5.71 | 38.83 | 44.54 | 8.31 | 47.09 | 55.40 | | | |
| 4. | के लिए राज्य सरकारों को अदायगी | 3601 | | 139.00 | 139.00 | | 80.18 | 80.18 | | 80.16 | 80.16 | | 61.49 | 61.49 | | | |
| 5. | नागरिक सुरक्षा | 2070 | 0.26 | 5.08 | 5.34 | 0.50 | 7.20 | 7.70 | 0.01 | 5.67 | 5.68 | | 7.28 | 7.28 | | | |
| | | 3601 | 60.65 | 11.00 | 71.65 | 9.00 | 12.00 | 21.00 | 0.33 | 3.00 | 3.33 | | 12.00 | 12.00 | | | |
| | | 4059 | | 0.53 | 0.53 | | ••• | | | | ••• | | 0.65 | 0.65 | | | |
| | | 4070 | | 0.82 | 0.82 | | 0.22 | 0.22 | | 0.14 | 0.14 | | 0.22 | 0.22 | | | |
| | | जो.ङ | 60.91 | 17.43 | <i>78.34</i> | 9.50 | 19.42 | 28.92 | 0.34 | 8.81 | 9.15 | | 20.15 | 20.15 | | | |
| | होम गार्ड | 3601 | | 35.88 | 35.88 | | 39.00 | 39.00 | | 36.66 | 36.66 | | 41.43 | 41.43 | | | |
| 7. | अन्य मदें | 2013 | | | | | 1.00 | 1.00 | | 0.33 | 0.33 | | 1.00 | 1.00 | | | |
| | | 2070 | 1.83 | 39.38 | 41.21 | 0.51 | 50.42 | 50.93 | 2.51 | 45.96 | 48.47 | 0.01 | 74.22 | 74.23 | | | |
| | | 2250 | | 0.23 | 0.23 | | 0.56 | 0.56 | | 0.24 | 0.24 | | 0.68 | 0.68 | | | |
| | | 3601 | | 7.00 | 7.00 | | 8.00 | 8.00 | | 6.00 | 6.00 | | 10.00 | 10.00 | | | |
| | | 4059 | | 34.93 | 34.93 | | 50.00 | 50.00 | | 22.00 | 22.00 | | 50.00 | 50.00 | | | |
| | | 4070 | | 1.49 | 1.49 | ••• | 6.35 | 6.35 | ••• | 1.03 | 1.03 | | 6.50 | 6.50 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | (ā | करोड़ रुपए) |
|----------------------------|--|-------------|--------------------|----------------|---------|-----------------------|----------------|---------|----------------------|----------------|---------|----------------------|------------------------|-------------|
| | | | वास्तविक 2012-2013 | | | ब जट 2013-2014 | | | संशोधित 2013-2014 | | | - | ਭ ੍ਰਟ 2014-2015 | |
| | | मुख्य शीर्ष | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ | आयोजना | आयोजना-भिन्न | जोड़ |
| | | 4216 | | 0.06 | 0.06 | | 4.61 | 4.61 | | 2.72 | 2.72 | | | |
| | | जो.ड | 1.83 | 83.09 | 84.92 | 0.51 | 120.94 | 121.45 | 2.51 | <i>78.28</i> | 80.79 | 0.01 | 142.40 | 142.41 |
| जोड़-अन्य प्रशासनिक सेवाएं | | | 66.88 | 309.06 | 375.94 | 18.32 | 298.21 | 316.53 | 8.56 | 242.74 | 251.30 | 8.32 | 312.56 | 320.88 |
| 8. | पुलिस स्मारक | 4059 | | ••• | | | ••• | | | ••• | | 50.00 | | 50.00 |
| 9. | पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/योजनाओं हेतु एकमुश्त प्रावधान | 2552 | | | | 220.00 | | 220.00 | 61.79 | | 61.79 | 75.00 | | 75.00 |
| 10. | वास्तविक वसूलियां | 2052 | | -0.27 | -0.27 | | ••• | | | | | | | |
| | | 3454 | | -3.17 | -3.17 | | ••• | | | ••• | | | | |
| | | जो.ङ | | -3.44 | -3.44 | | | | | ••• | | | | |
| कुल जोड़ | | | 870.98 | <i>751.30</i> | 1622.28 | 1360.98 | 812.88 | 2173.86 | 627.00 | 725.00 | 1352.00 | 794.00 | <i>850.67</i> | 1644.67 |
| | | विकास शीर्ष | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ | बजट सहायता | आं. ब. बा. सं. | जोड़ |
| ग. योज | ना परिव्यय | | | | | - | | | | | | | | |
| 1. | सचिवालय - सामाजिक सेवाएं | 32052 | 6.25 | ••• | 6.25 | 0.50 | | 0.50 | 0.50 | | 0.50 | 0.71 | | 0.71 |
| 2. | जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी | 13454 | 797.85 | ••• | 797.85 | 1122.16 | ••• | 1122.16 | 556.15 | ••• | 556.15 | 659.97 | | 659.97 |
| 3. | अन्य प्रशासनिक सेवाएं | 32070 | 66.88 | ••• | 66.88 | 18.32 | ••• | 18.32 | 8.56 | ••• | 8.56 | 8.32 | | 8.32 |
| 4. | पूर्वोत्तर क्षेत्र | 22552 | | | | 220.00 | | 220.00 | 61.79 | | 61.79 | 75.00 | | 75.00 |
| 5. | लोक निमार्ण कार्य | 32059 | | | | | | | | | | 50.00 | | 50.00 |
| जोड़ | | | 870.98 | | 870.98 | 1360.98 | | 1360.98 | 627.00 | | 627.00 | 794.00 | | 794.00 |

- 1. सिचवालय: यह प्रावधान गृह मंत्रालय के अधीन विभिन्न विभागों के सिचवालय व्यय के लिए है।
- 2. जनगणना: इसमें आबादी संबंधी आंकड़े इकट्टे करने तथा दस वर्षीय जनगणना करने के लिए जिम्मेदार भारत के महारजिस्ट्रॉर तथा जनगणना आयुक्त के कार्यालय के लिए प्रावधान शामिल हैं। योजनागत प्रावधान चालू स्कीमों के लिए है।
- 3. **राजभाषा:** इसमें केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को हिन्दी पढ़ाने, केन्द्रीय हिन्दी प्रशिक्षण संस्थान, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों आदि से संबंधित व्यय शामिल है।
- 4. केन्द्रीय अधिनियमों एवं विनियमों के प्रशासन के लिए राज्य सरकारों को भुगतान: इसमें केन्द्रीय अधिनियमों एवं विनियमों के प्रशासन, जिनमें नागरिकता अधिनियम और विदेशियों का पंजीकरण एवं निगरानी तथा अन्यं अधिनियमों एवं विनियमों का प्रशासन शामिल है, के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान हेतु प्रावधान शामिल है।
- 5. **नागरिक सुरक्षा:** भारत सरकार की नीति के अनुसार, नागरिक सुरक्षा उपायों के लिए केन्द्रीय सहायता चुनिंदा स्थानों तथा महत्वपूर्ण संयंत्रों/संस्थापनों तक ही सीमित है जो उन्हे उनके सामरिक एवं रणनीतिक महत्व के आधार पर दी जाती है। इस प्रावधान में राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय और आपदा प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रमों संबंधी व्यय शामिल है। यह प्रावधान, राज्यों में अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाओं के सुदृद्धीकरण तथा नागरिक सुरक्षा के नवीकरण जैसी योजनाओं के लिए भी है।
- 6. **होमगार्ड:** यह गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित एक व्यापक पैटर्न तथा नीति के अंतर्गत राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा गठित एक स्वयंसेवी बल है। होमगार्ड का उपयोग राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, यातायात नियंत्रण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा करने में अपने-अपने पुलिस बलों की सहायता के लिए किया जाता है। बार्डर विंग होमगार्ड, पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ तैनात किए जाते हैं। इस प्रावधान में चुनाव ड्यूटियों के लिए राज्य सरकारों द्वारा उपयोग में लाए गए होमगार्ड पर होने वाला व्यय भी शामिल है।

- 7. अन्य मदें: इसमें क्षेत्रीय परिषद, अंतर-राज्य परिषद, राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, विशेष जांच आयोग, मानवाधिकार आयोग, आई सी पी ओ इन्टरपोल तथा क्राइम प्रिवेन्शन एंड क्रिमिनल जस्टिस फण्ड संबंधी संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के लिए योगदान, क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस फण्ड, के उन्नयन तथा एन सी डी सी का एक उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में उन्नयन करने के लिए प्रावधान शामिल है।
 - 8. **पुलिस स्मारक:** यह प्रावधान पुलिस स्मारकों के निर्माण के लिए है।
- 9. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम को लाभान्वित करने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के लिए एकमुश्त् प्रावधान: योजना आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए एकमुश्त प्रावधान निर्धारित है।